त्रिपुरा राज्य

बनाम

राम बीर सिंह व अन्य

08 मई, 2007

(एस.बी.सिन्हा और मार्कण्डेय काटजू न्यायाधीशगण)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973:

दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील- साक्ष्य का विश्लेषण- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिको द्वारा अंधाधुन्ध गोलीबारी में स्थानीय पुलिसकर्मियो के घायल होने व उनकी हत्या के मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का निष्कर्ष पारित- उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया- अभिनिर्धारित, उच्च न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य व सामग्री पर संतोषप्रद तरीके से विचार नहीं किया- जबकि अभियोजन ने स्पष्ट रूप से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्मिकों द्वारा अपराध किया जाना साबित किया- प्रकरण को उच्च न्यायालय को मौजूद साक्ष्य व सामग्री के आधार पर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया- भा.द.सं. 1860 की धारा 302/355 सपठित धारा 34

निर्णय- उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के धारा 302/355 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में दोषसिद्धि के निष्कर्ष को अपील में उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त किया- उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि बाद में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अपील की अनुमति दी गई और आरोपी को बरी कर दिया गया- दोषमुक्ति के निर्णय में कारण उसी समय दिए जाने थे, अभिनिर्धारित, उच्च न्यायालय ने अनियमितता कारित की- आक्षेपित निर्णय पूर्व की दिनांक का प्रतीत होता है- अभ्यास एवं प्रक्रिया।

प्रत्यर्थी/अभियुक्त, जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक थे, उन्हे धारा 302, 353, 307 सपठित धारा 34 के रूप में अभियोजित किया गया, घटना वाले दिन अभियुक्तगण ने बिना टिकिट के कार्यक्रम हॉल में प्रवेश किया था, स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोका तो केन्द्रीय पुलिस बल के जवानों ने उनके साथ हाथापाई की और पुलिस अधिकारियों पर हमला किया और पुलिसकर्मियों को परिणाम भुगतने की धमकी दी, कुछ समय बाद वह वापस आए और उन्होने आग्नेय शस्त्रों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू की जिसमें एक पुलिसकर्मी के गंभीर चोटे आई, प्रत्यर्थीगण ने फायर बिग्रेड के कर्मियों को आहत को अस्पताल ले जाने नहीं दिया, आहत की मौके पर ही मृत्यु हो गई, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 302/34 व 353/34 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किया, उच्च न्यायालय ने अभियुक्तगण की अपील को स्वीकार किया जिस पर यह अपील इस न्यायालय में पेश हुई, इस अपील को स्वीकार किया गया और उच्च न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया गया।

अभिनिर्धारित- अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने अपील पूर्व में स्वीकार कर ली और इसके कारण निर्णय में बाद में दर्ज किए, अपील को इस प्रकार निस्तारित करने का तरीका संतोषजनक नहीं है। उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित करने में दो अनियमितताएँ कारित कीं- 1. उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील के निर्णय के प्रवर्तनशील भाग को पारित किया और कारण बाद में दर्ज किया। 2. निर्णय में कारण दर्ज किए जाने की दिनांक 31.07.2003 अंकित है जो उचित प्रकट नहीं होता है जैसा की पैरा संख्या-07 में यह अंकित है कि अपील स्वीकार करने के कारण दिनांक 31.07.2003 के बाद दिए जाएंगे, आक्षेपित निर्णय पूर्व दिनांकित प्रकट होता है, प्रकरण को निस्तारित करने का तरीका संतोषजनक नहीं है, यह अपेक्षा की जाती है कि देश के न्यायालय इस तरह की त्रृटि का पुनरावर्तन भविष्य में नहीं करेगे।

(पैरा 11, 14,15) (121 ए-एफ)

2.1. इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री पर संतोषजनक तरीके से विचार नहीं किया, मामले में प्रश्नगत घटना गंभीर प्रकृति की थी, ऐसे मामले में गंभीरतापूर्वक साक्ष्य व सामग्री पर विचार किया जाना था। हस्तगत मामले में स्थानीय पुलिस कार्मिकों पर मुख्य रूप से हमला इसलिए किया गया कि उन्होने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को कार्यक्रम हॉल से कुछ सीटे खाली करने के लिए कहा गया, जिनके लिए केन्द्रीय रिवर्ज पुलिस बल के कार्मिकों के पास कोई टिकिट नहीं थे। मुख्य प्रश्न ऐसे व्यक्तियों की पहचान के बारे में था जो पुलिसकर्मियों पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने मामले का उचित तरीके से निस्तारण नहीं किया, विचारण न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण बिन्दुओं की अनदेखी की, अभियोजन ने हथियारो के जारी करने के रजिस्टर को साबित किया, जिसमें संबंधित अधिकारी ने हथियार अभियुक्तगण को जारी किए एवं अनुसंधान अधिकारी ने स्वचालित बंदूक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों से जब्त किए। केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने इस तथ्य की संपुष्टि की कि स्वचालित बंदूकों को फायरिंग के उद्देश्य से तत्समय उपयोग में लिया गया।

[121-एफ-जी;122-बी-ई) (पैरा 16,17,19)

2.2 विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष पारित किया कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि अभियुक्तगण केन्द्रीय रिवर्ज पुलिस बल के कार्मिकों ने अपनी रायफल से अंधाधुंध फायरिंग की, प्रतिरक्षा में इसका कोई खण्डन नहीं किया गया, इस बिन्दु पर उच्च न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए था, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

[पैरा 20) (122-एफ-जी)

3. उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द किया जाता है, उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपील पुनः नए सिर से अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य व सामग्री के मध्य नजर सुनवाई कर निर्णय पारित करे।

[पैरा23)(123-एफ)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार-आपराधिक अपील क्रमांक 927/2004

गोहाटी उच्च न्यायालय, अगरतला पीठ के आपराधिक अपील क्रमांक 03/2001 में दिनांक 31.07.2003 को पारित निर्णय से

ऋतुराज विश्वास (गोपाल सिंह के लिए) अपीलार्थी के लिए

एस.बी.सानियाल, अजीम एच. लश्कर, आनंद एवं अभिजीत सेन गुप्ता प्रत्यर्थीगण के लिए

निर्णय न्यायाधिपति श्री मार्कण्डेय काटजू द्वारा पारित किया गया। 1. यह अपील गोहाटी उच्च न्यायालय के अगरतला पीठ के आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.07.2003 के जो दाण्डिक अपील 03/2001 में पारित किया गया के विरुद्ध पेश की गई।

2. सभी पक्षो के अधिवक्ताओं को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 08.07.1996 को धर्मनगर पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक श्री कमलाकर चौधरी के निर्देशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक जब वह धर्म नगर के टाऊन हॉल से कानून और व्यवस्था के कर्तव्य परायण के लिए जा रहे थे तब कार्यक्रम के कुछ आयोजकों ने उनसे सम्पर्क

किया और शिकायत की कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने गेट को तोड़ दिया है और हॉल की कुर्सियों पर जबरन कब्जा कर लिया, उन्होने उनसे कुर्सिया खाली करने के लिए कहा लेकिन उन्होने ऐसा करने से इंकार कर दिया, जिस पर उपनिरीक्षक कमलाकर चौधरी ने हॉल में प्रवेश किया और उन्होने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों से हॉल से जाने के लिए कहा, लेकिन वह हॉल में वापस आए और साईड की सीटो पर टिकिट धारक लोगों को हटाकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक वापस बैठने लगे। पुलिस उपनिरीक्षक को इसकी दुबारा सूचना दी गई, जिस पर उन्होने उन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को हटाया, इस दौरान उपनिरीक्षक और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के मध्य हाथापाई भी हुई, जिसमें उनकी बाईं आँख पर हमला किया गया जिससे उनके गंभीर चोट आई, उसके बाद स्थानीय पुलिसकर्मियों को परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक हॉल से चले गए।

4. अभियोजन मामले के अनुसार कुछ समय बाद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक पुनः हॉल में आए और उन्होने उनके पास मौजूद आग्नेय शस्त्रो से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस कर्मियों में से एक सुकुमार घोष के गोली लगने से वह नीचे गिर गया। उपनिरीक्षक व उसके स्थानीय पुलिसकर्मियों के कार्मिक उस जगह पर अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उस आहत को नहीं ले जा पाए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने फायर बिग्रेड को भी घटना स्थल पर नहीं आने दिया जिससे आहत को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक सूचनाकर्ता को खोजते हुए पुलिस थाने पर भी गए, कुछ समय बाद आहत की चोटो की वजह से उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।

5. सूचना के प्राप्त होने पर धर्मनगर पुलिस थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 63/1996 अंतर्गत धारा 302, 307/34 भा.द.सं. में पंजीबद्ध की गई और अनुसंधान

प्रारम्भ किया गया, अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए, अलामात जब्त किए और अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, इसके उपरान्त पुलिस ने आरोप-पत्र पेश किया।

6. विद्वान सेशन न्यायाधीश उत्तर त्रिपुरा, कैलाशहर को प्रकरण विचारण हेतु कमिट किया। विद्धान सेशन न्यायाधीश ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध धारा 302, 353, 307 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के आरोप विरचित किए जिस पर प्रत्यर्थीगण ने दोषी नहीं होने का अभिकथन किया और विचारण चाहा, इसके उपरान्त विद्धान सेशन न्यायाधीश ने प्रकरण को विद्वान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश उत्तर त्रिपुरा धर्मनगर को निस्तारण के लिए अंतरित किया।

7. विचारण के दौरान अभियोजन ने 24 साक्षियों के कथन लेखबद्ध कराए तथा दस्तावेज व अलामत को साक्ष्य में अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रदर्शित कराए।

8. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार कर अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित धारा 34, धारा 353 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध किया व अर्थदण्ड भी लगाया।

9. इस दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध गोहाटी उच्च न्यायालय में अभियुक्तगण ने अपील पेश की, साथ ही त्रिपुरा राज्य ने भी विशेष अनुमति के तहत अपील पेश की।

10. आक्षेपित उच्च न्यायालय के निर्णय व सामग्री पर टिप्पणी करने से पूर्व हम यह चाहेंगे कि आक्षेपित निर्णय के पैरा संख्या 07 को उल्लेखित किया जाए-

"दिनांक 31.07.2023 के आदेश के द्वारा, कारण बाद में अभिलिखित किए जाएगे, हम यह अपील स्वीकार करते है और सभी अपीलार्थियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त करते है। दोषमुक्ति के कारण निम्न प्रकार से है।"

11. ऐसा प्रकट होता है कि अपील को स्वीकार करने का आदेश पूर्ववर्ती क्रम में दिया गया और उसके कारण पश्चातवर्ती क्रम में अभिलिखित किए गए, हमारी राय में प्रकरण को निस्तारित करने का यह बहुत ही असंतोषजनक तरीका है।

12. इसके अलावा, आक्षेपित निर्णय के पैरा 7 में अपील दिनांक 31.07.2003 को स्वीकार कर ली गई और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया और यह लिखा गया कि इसके कारण बाद में दर्ज किए जाएगे लेकिन अपील स्वीकार की गई सभी अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया, आक्षेपित निर्णय में कारण लिखा गया। हमारे लिए यह विश्वास किया जाना कठिन है कि अपील स्वीकार किए जाने के कारण दिनांक 31.07.2003 को दर्ज किए गए जबकि ऐसी अपील को उसी दिन स्वीकार किया जाना बिना किसी कारण के बताया गया।

13. हमारे द्वारा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह कहीं नहीं पाया गया कि किस दिनांक को आक्षेपित निर्णय के कारण दर्ज किये गये।

14. माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण द्वारा दो अनियमितताएं किया जाना प्रकट होता है जिनमें प्रथम यह है कि प्रवर्तनशील निर्णय के भाग को पहले पारित कर दिया गया और कारण बाद में लिखा गया। दूसरा जिस दिनांक को कारण दिया जाना बताया गया है वह दिनांक 31.07.2003 उल्लेखित है जो कि अनुच्छेद संख्या-07 में प्रकट नहीं होता है आक्षेपित निर्णय पूर्व दिनांक का प्रकट होता है।

15. हम यह राय व्यक्त करते है कि प्रकरण का अनुचित तरीके से निस्तारण किया गया, ऐसी अपेक्षा करते है कि भविष्य में देश के न्यायालय ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं करेगे।

16. उपरोक्त के अलावा ऐसा पाया गया है, कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य व सामग्री पर आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व विचार नहीं किया, प्रश्नगत घटना गंभीर प्रकृति की थी जिस पर सुविचारित विश्लेषण साक्ष्य व सामग्री पर होना चाहिए था। मामले में केन्द्रीय रिवर्ज पुलिस बल के कार्मिको ने स्थानीय पुलिस पर हमला किया, उन्होने कार्यक्रम हॉल की टिकिट नहीं होने के बावजूद भी सीटे खाली नहीं की, हमारी राय में स्थानीय पुलिस को यह पूर्ण अधिकार था कि वह बिना टिकिट वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों से सीटे खाली करवाते। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने अवैधता व दुराचरण किया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक ऐसी घटना के लिए दाण्डिक के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही के लिए भी कठोर दण्ड के उत्तरदायी है, किसी को भी कानून हाथ मे लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती, यदि ऐसी अनुमति दी गई तो विधि का शासन और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।

17. एकमात्र प्रश्न पुलिसकर्मियो के साथ घटना करने वालो की पहचान के संबंध में था जिसके संबंध में हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने इस बिन्दु पर उचित रूप से निर्णय नहीं दिया, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने स्थानीय पुलिस के साथ आग्नेय शस्त्रो से हमला किया था और एक पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हो गई ऐसे मामले में उच्च न्यायालय को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए था, लेकिन खेद का विषय है ऐसा नहीं किया गया।

18. अभियोजन ने 24 साक्षियों के कथन लेखबद्ध कराए, अभियोजन ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के अपराधों को स्पष्ट साक्ष्य से साबित किया, जिससे हम सहमत है।

19. प्रकरण में अभियुक्तगण की पहचान के बारे में विचारण न्यायालय ने विस्तृत रूप से निष्कर्ष पारित किया लेकिन उच्च न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान

नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर अभियोजन ने हथियारों का जारी कराने का रजिस्टर साबित किया जिसमें संबंधित अधिकारी ने आग्नेय शस्त्रो को अभियुक्तगण को जारी करना बताया। अनुसंधान अधिकारी ने स्वचालित बन्दूक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों से जब्त की जो उनके द्वारा पेश की गई। केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने इस तथ्य का समर्थन किया कि स्वचालित बंदूक हाल ही के समय में फायरिंग के उद्देश्य से प्रयोग में ली गई।

20. विचारण न्यायालय ने सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य पर निष्कर्ष दिया जिन्होने स्पष्ट तौर पर कहा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिको ने अंधाधुंध फायरिंग स्वचालित बंदूकों से की, प्रतिरक्षा में इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया, यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु था जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया।

21. उच्च न्यायालय के समक्ष इस बिन्दु पर कहा गया कि अभियुक्तगण को कार्यवाही शिनाख्तगी परेड से पूर्व साक्षियों को दिखाए जाने का अवसर था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि अभियुक्तगण पुलिस अभिरक्षा में विभिन्न पुलिस थानों में अभिरक्षा में रखे गए, उन्हे ऐसे पुलिस थानों में नहीं रखा गया जो साक्षीगण से संबंधित हो, अभियुक्तगण को पानीसागर पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, उन्हे थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित किया गया, यह तथ्य भी अभिलेख पर है कि अनुसंधान अधिकारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर त्रिपुरा कैलाशहार के समक्ष पेश किया और उसके उपरान्त कैलाशहार पुलिस स्टेशन में रखा गया जो कि पानीसागर पुलिस स्टेशन से भिन्न है, इसके बावजूद भी उच्च न्यायालय को यह विचारित करना चाहिए था क्या साक्षियों को कार्यवाही शिनाख्तगी से पूर्व अभियुक्तों को दिखाने का अवसर था।

22. प्रत्यर्थीगण के विद्धान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि बयान गवाह 18 जो कि मजिस्ट्रेट है जिनके द्वारा कार्यवाही शिनाख्तगी दिनांक 20.07.1996 को सम्पादित की गई। उनका यह कथन है कि द्वितीय कार्यवाही शिनाख्तगी परेड में अभियुक्त वैधमुनि मिश्रा को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के साथ समान कदकाठी के अनुसार मिलाया गया, जिनमें कृष्णपाड़ा भौमिक गवाह ने संदिग्ध की पहचान की, राजकुमार सिंह व अन्य ने पहचान नहीं की। हमारी राय में विद्वान मजिस्ट्रेट की साक्ष्य में त्रुटि थी, यह राजकुमार सिंह नही था जिसे कृष्णपाडा भौमिक द्वारा पहचाना गया था। शिनाख्तगी परेड की रिपोर्ट के अनुसार वैधमुनि मिश्रा के साथ 11 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को परेड में रखा गया था, इसलिए, स्पष्ट रूप से राजकुमार सिंह कृष्णपद भौमिक द्वारा पहचाना गया व्यक्ति नहीं हो सकता है, और यह बेदमोनी मिश्रा ही था जिसे उसने पहचाना था।

23. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय पर और अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है। हमारा यह निष्कर्ष है कि इस निर्णय को अपास्त किया जाए और पुनः सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाए, अतः ऐसी परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त करते है और प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित करते है कि वह साक्ष्य व सामग्री पर उचित रूप से विचार कर निर्णय पारित करे। प्रकरण सन् 1996 का है, हम उच्च न्यायालय से यह निवेदन करते है कि प्रकरण का निस्तारण यथासंभव शीध्र करे।

24. इस निर्णय में पारित किसी राय व टिप्पणी से उच्च न्यायालय अपील के निस्तारण में प्रभावित नहीं होगा।

25. अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और प्रकरण को उच्च न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने के लिए प्रेषित किया जाता है।

(अपील स्वीकार)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बृजेश पंवार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।